

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

/20

नानछी बनाम ताराप्रकाश

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>पत्रावली आज चारते आदेश पेश हुई। वहास वकील वादी की सुनने एवं मौका कमीशनर की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम पाते है कि वादी उक्त भूमि में विभाजन हेतु कोई कार्यवाही नही चाहती है। अतः मौका कमीशनर की रिपोर्ट के आधार पर दावा खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फेराल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	